

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 फरवरी 2023—माघ 20, शक 1944

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2023

क्र. एफ-49-1-रा.स.-यू.ए.-5-2016.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी के द्वारा निम्नलिखित विधायकगण को अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (नौ) के अंतर्गत राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत किया जाता है:—

1. श्री संजीव सिंह,  
विधायक,  
सुभाष नगर,  
मेला ग्राउण्ड के पास,  
जिला भिण्ड (म. प्र.)

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,  
स्वरोचिष सोमवंशी, राज्यपाल के उपसचिव.